# कार्यालय अधिष्ठाता
## राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
## शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

Telephone No. 07774-299312 E-mail – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com


क्र./8106 /शा.चि.म./स्था./2024 अम्बिकापुर, दिनाँक 28.02.2024

## //आदेश//

--::oo::--

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12–28/2013/नौ/55-दो दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा की स्थापना हेतु सृजित/स्वीकृत **"टेक्नीशियन"** के पद पर सीधी भर्ती विज्ञापन क्रमांक/2787/शा.चि.म./स्था-3/2017 अम्बिकापुर, दिनांक 12/09/2017 के माध्यम से वरियता क्रम में चयन उपरांत निम्नलिखित उम्मीद्वारों को **टेक्नीशियन** पद पर नाम के सम्मुख दर्शित संवर्ग में **वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 (सातवाँ वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल-07)** में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

| क्र. | मेरिट क्रम अनुसार चयनित उम्मीद्वार का नाम | पिता/पति का नाम | चयनित संवर्ग |
|---|---|---|---|
| 1 | विवेक प्रसाद गुप्ता | श्री संजय प्रसाद गुप्ता | अनारक्षित-1 |
| 2 | छत्रपाल कुल्हारा | श्री गौतम राम कुल्हारा | अनारक्षित-2 |
| 3 | दिवाकर मिश्रा | श्री लल्लु प्रसाद मिश्रा | अनारक्षित-3 |
| 4 | लक्ष्मी | श्री अम्बु दास | अनारक्षित,महिला-1 |
| 5 | अनिल कुमार सिंह | श्री जवाहिर सिंह | अजजा - 1 |
| 6 | विप्रेश मिंज | श्री शिव नारायण सिंह | अजजा - 2 |
| 7 | पूनम सिंह | श्री बुटन सिंह | अजजा, महिला - 1 |
| 8 | कुसुमकान्ता खलखो | श्री सतेन्द्र लकड़ा | अजजा, महिला - 2 |
| 9 | ब्रिजेन्द्र कुमार भगत | श्री सोमनाथ भगत | अजजा - 3 |
| 10 | संग्राम राम बंजारे | श्री मंगलू राम | अजा - 1 |
| 11 | सीपक प्रजापति | श्री सुखसाय | अपिव - 1 |
| 12 | योगेश कुमार ठाकुर | श्री रामनाथ ठाकुर | अपिव - 2 |

**नियुक्ति की शर्तें :-**

1. नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनवार्य होगा। नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं 03 वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि पर रहेगी। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में उचित व पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
3. छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग द्वारा जारी वित निर्देश 33/2023 दिनाँक 12.09.2023 में दिये प्रावधानुसार वेतन, भत्ते की पात्रता रहेगी।
4. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु उपयुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तद्उपरांत ही उपस्थिति मान्य होगी।
5. नियुक्त अभ्यर्थी का अधिकृत अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। पुलिस चरित्र सत्यापन असंतोषजनक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दिया जावेगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। जिसके उल्लंघन करने पर सेवा समाप्त भी की जा सकेगी। आपको शासन/नियुक्तर्त्ता एवं नियंत्रणकर्त्ता प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. शासन के नियमानुसार उभयपक्ष के द्वारा **01** माह का नोटिस अथवा **01** माह का वेतन भत्ते सहित देकर सेवामुक्त/पदत्याग किया जा सकता है। संबंधित द्वारा उक्त शर्त का पालन नहीं करने पर भू-राजस्व के बकाया की भाँति राशि वसूली की जावेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, कि वे किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियुक्त नहीं है व वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य एवं सही हैं। किसी प्रकार के फर्जी अथवा कूटरचना की पुष्टि होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
9. नियुक्त अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल तक आने-जाने हेतु किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगी। उन्हें स्वयं के व्यय पर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा।
10. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. एफ 13–1/2023/आ.प्र./–3, दिनांक 03.05.2023 में दिये निर्देश एवं राज्य/राष्ट्रीय अन्तर्गत किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

**अधिष्ठाता** 28.02.2024
**राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव**
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय**
**अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

पृ० क्र./ 8107-15 /शा.चि.म./स्था./2024
अम्बिकापुर, दिनाँक 28/02/2024

**प्रतिलिपि :-**

1. **विशेष सहायक, माननीय मंत्री महोदय,** छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
2. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
3. **आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. **संचालक चिकित्सा शिक्षा,** स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. **आयुक्त,** सरगुजा संभाग एवं अध्यक्ष प्रबंधकारिणी स्वशासी समिति, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. **संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
7. **जिला-कोषालय अधिकारी,** अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
8. **लेखा-शाखा,** राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
9. सर्व संबंधित .............................................. राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**अधिष्ठाता** 28.02.2024
**राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव**
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय**
**अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**